प्रेषक,

अजय कुमार शुक्ला,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

निर्वाचन अनुभाग, लखनऊः दिनांक 22 दिसम्बर, 2021

विषयः वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान संख्या-41 निर्वाचन विभाग के अंतर्गत विभिन्न मानक मदों में पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि उपलब्ध कराये जाने हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–880/सी0ई0ओ0-3-05/3-2021, दिनांक-30 अक्टूबर, 2021 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के अधीन कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय, चिकित्सा व्यय एवं कार्यालय व्यय इत्यादि के लिए कुल रू0—178.32 लाख (रूपये एक करोड़ अठहत्तर लाख बत्तीस हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति संलग्न प्रपत्र बी0एम0–9 (भाग–1) के अनुसार पुनर्विनियोग के माध्यम से निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन राज्यपाल महोदया सहर्ष प्रदान करती हैं:-

(1) वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक 22 मार्च, 2021 में उल्लिखित दिशा निर्देशों/ प्रतिबन्धों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) स्वीकृत की जा रही धनराशि का नियमानुसार व्यय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व विभागाध्यक्ष का होगा।

(3) मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय द्वारा जिस मद में बचत दर्शायी जा रही है, उस मद में चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में अतिरिक्त धनराशि की माँग नहीं की जायेगी और स्वीकृत धनराशि का उपयोग प्रत्येक दशा में दिनांक 31.03.2022 तक करना सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) पुनर्विनियोग द्वारा उपलब्ध करायी जा रही धनराशि का सदुपयोग चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 तक कर लिया जायेगा।

(5) केवल बजट व्यवस्था के उद्देश्य से पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि प्रदान की जा रही है। धनराशि स्वीकृति किये जाने के विषय में कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति करते हुए औचित्य का परीक्षण कर लेंगे तथाप्रश्नगत सेवाओं के सम्बन्ध में सुसंगत वित्तीय नियमों एवं निर्देशों के अनुरूप धनराशि के उपयोग का सम्पूर्ण दायित्व विभागाध्यक्ष का होगा।

(6) मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय द्वारा जिस प्रयोजन हेतु धनराशि की माँग की जा रही है, उसी मद में ही आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी।

(7) विभागाध्यक्ष द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग से उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-150, 151 व 154 में विनिर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

2/-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है

http://shasanadesh.up.gov.in

(8) मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय द्वारा कम्प्यूटर/उपकरण का क्रय सुसंगत नियमों एवं शासनादेशों के अनुसार समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति करते हुए नियमानुसार सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग द्वारा सामग्री एवं वस्तुओं/सेवाओं के क्रय हेतु निर्गत सुसंगत शासनादेश के अनुसार गर्वमेन्ट ईमार्केटप्लेस (Gem)/आई0टी0 टेण्डरिंग के माध्यम से किये जायेगा।

(9) लेखाशीर्षक 103-निर्वाचक नामावली तैयार करना और मुद्रण-05-निर्वाचन अधिष्ठान व्यय मद से सम्बन्धित होने वाले व्यय का वहन 50-50 प्रतिशत भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा तथा लेखाशीर्षक 105-संसद के चुनाव कराने के लिए प्रभार-03-सामान्य निर्वाचन मद से सम्बन्धित होने वाले व्यय का वहन 100 प्रतिशत भारत सरकार द्वारा किया जाएगा।

(10) आहरित धनराशि किसी बैंक/पी0एल0ए0/डाकघर में नहीं रखी जायेगी तथा धनराशि का आहरण वास्तविक आवश्यकतानुसार किया जायेगा।

2- उक्त स्वीकृत धनराशि को चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान संख्या-41 लेखाशीर्षक 2015-निर्वाचन-00-106-राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के विधान मण्डल के चुनाव कराने के लिए प्रभार-03-सामान्य निर्वाचन-राज्य विधानसभा -00-08-कार्यालय व्यय की सम्भावित बचतों से अनुदान संख्या-41 के लेखाशीर्षक 2015-00-103-निर्वाचक नामावली तैयार करना और मुद्रण-05-निर्वाचन अधिष्ठान व्यय-00-46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/सॉफ्टवेयर का क्रय एवं 2015-निर्वाचन-00-103-निर्वाचक नामावली तैयार करना और मुद्रण-05-निर्वाचन अधिष्ठान व्यय-00-49-चिकित्सा व्यय तथा 2015-निर्वाचन-00-105-संसद के चुनाव कराने के लिए प्रभार-03-सामान्य निर्वाचन-00-08-कार्यालय व्यय के अंतर्गत पुनर्विनियोग कर वहन किया जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अ०शा० संख्या-वित्त-ई0-12-ई०ओ०-272/दस-2021, दिनांक 17 दिसम्बर, 2021 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किया जा रहा है।

संलग्नक-यथोक्तः-

भवदीय,

(अजय कुमार शुक्ला)
सचिव।

संख्याः-16/2021/720(1)/61-2021-61-01099/37/2021, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

(1) महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
(2) महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
(3) वित्त नियंत्रक, कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उ0प्र0 , लखनऊ।
(4) सम्बन्धित कोषाधिकारी द्वारा निर्वाचन अनुभाग–3 कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ ।
(5) वित्त (व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग-12/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
(6) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(7) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(पंकज कुमार सिंह)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है

http://shasanadesh.up.gov.in

फार्म बी.एम.-9 (भाग-1)

पुनर्विनियोग की स्वीकृति के लिए आवेदन

(बजट मैनुअल का प्रस्तर-158 देखें)

अनुदान संख्या व नाम:-41, निर्वाचन विभाग वित्तीय वर्ष:-2021-2022 (धनराशि लाख रूपये में)

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जाएगा	
लेखा शीर्ष (15 डिजिट कोड में)	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान/विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात् शेष अनुदान/विनियोग (2-5)
1	2	3	4	5	6
2015-निर्वाचन-00- 106-राज्य / संघ राज्य क्षेत्र के विधान मण्डल के चुनाव कराने के लिए प्रभार- 03-सामान्य निर्वाचन-राज्य विधानसभा-00- 08-कार्यालय व्यय	42115.58	178.32	178.32	178.32	41937.26
योग:-	**42115.58**	**178.32**	**178.32**	**178.32**	**41937.26**

निम्नलिखित निधियों में प्रस्तावित संक्रमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जाएगा	
लेखा शीर्ष (15 डिजिट कोड में)	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध अनुदान/विनियोग	वित्तीय वर्ष में प्रत्याशित कुल व्यय	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि (9-8)	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पश्चात् उपलब्ध अनुदान/विनियोग (8+11)
7	8	9	10	11	12
2015-निर्वाचन-00- 103-निर्वाचक नामावली तैयार करना और मुद्रण- 05-निर्वाचन अधिष्ठान व्यय-00- 46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/सॉफ्टवेयर का क्रय	10.00	35.00	25.00	**25.00**	**35.00**
2015-निर्वाचन-00- 103-निर्वाचक नामावली तैयार करना और मुद्रण- 05-निर्वाचन अधिष्ठान व्यय-00- 49-चिकित्सा व्यय	30.00	59.00	29.00	**29.00**	**59.00**
2015-निर्वाचन-00- 105-संसद के चुनाव कराने के लिए प्रभार- 03-सामान्य निर्वाचन-00- 08-कार्यालय व्यय	350.00	474.32	124.32	**124.32**	**474.32**
योग:-	**390.00**	**568.32**	**178.32**	**178.32**	**568.32**

(1) स्तम्भ-3 में उपलब्ध बचत का कारण निम्नानुसार है:-

चालू वित्तीय वर्ष 2021-2022 में जनपदों से कम मांग प्राप्त होने की सम्भावना के कारण बचत सम्भावित है।

(2) स्तम्भ-8 में उल्लिखित उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ-9 में अंकित अधिक व्यय निम्नलिखित कारणों से है:-

जिला निर्वाचन कार्यालयों व मतदाता पंजीकरण केन्द्रों के उपयोगार्थ तथा मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में नवनियुक्त 09 समीक्षा अधिकारी/सहायक समीक्षा अधिकारियों के उपयोगार्थ कम्प्यूटर उपकरण क्रय किये जाने तथा गत् निर्वाचनों की कतिपय लम्बित देयताओं के भुगतान हेतु, मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय तथा जिला निर्वाचन कार्यालयों में कार्यरत अधिकारियों/ कार्मिकों एवं उनके आश्रितों की चिकित्सा पर हुए व्यय से सम्बन्धित देयकों के भुगतान हेतु तथा विगत लोक सभा निर्वाचनों में जिला निर्वाचन कार्यालयों द्वारा किये गये विविध व्ययों यथा- टेन्ट, फर्नीचर, ध्वनि एवं प्रकाश, हल्के/भारी वाहनों तथा जनरेटरों के लिए ईंधन, वाहनों के किराये भाड़े, मानचित्र, सी0सी0टी0वी0 कैमरा, वीडियोग्राफी, वोटर गाइड, विज्ञापन, मतदाता पर्ची तथा मतदाता सूची के मुद्रण आदि पर हुए व्यय से सम्बन्धित लम्बित देयकों के भुगतान हेतु धनराशि की आवश्यकता है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है

http://shasanadesh.up.gov.in

(3) प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर 150,151 व 154 में निर्दिष्ट प्रतिबंधों/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

संख्या: आर०ई०186-ई-12- ई०ओ०-272 /दस-2021, दिनांक: 17 दिसम्बर,2021,

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम,

उत्तर प्रदेश, प्रयागराज (इलाहाबाद) ।

(पंकज कुमार सिंह)
अनु सचिव,
निर्वाचन विभाग, उ0प्र0 शासन ।

(राजीव कुमार वत्स)
उप सचिव,
वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।

संख्या:16/2021/720/61-2021-61-01099/37/2021 दिनांक 17 दिसम्बर,2021

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
2- सम्बंधित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 (तीन प्रतियों में)
5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-12

(पंकज कुमार सिंह)
अनु सचिव,
निर्वाचन विभाग, उ0प्र0 शासन।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है